नेशनल इंस्टीच्यूट आफ रिहाबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिहाबिलिटेशन (NIRTAR) फारमर्ली (NIOPT) मेमोरेंडम आफ एसोसियेशन

1. संस्था का नाम

1.1 संस्था का नाम नेशनल इंस्टीच्यूट आफ रिहाबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च (NIRTAR) होगा।

2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय कमरा नं. 623. 'ए' विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 होगा।

3. संस्था के उद्देश्य और लक्ष्य होंगे :

i) अर्टिफिसियल लिंब्स मेनुफेक्चरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया (भारत सरकार का उम) के उत्पादों को बढावा देना ।

ii) डाक्टर, इंजीनियर, प्रोस्थेठिस्ट, आर्थोटिस्ट, प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटिक तकनीशियन , फिजियाथत्रेरापिस्ट आकूपेशनल थेरापिस्ट, बहुउद्देश्य पुनःस्थापन चिकित्सा एवं अन्य कर्मी जो शारीरिक भिन्न क्षमों के लिए जरूरी हों, आदि का स्पांसर, प्रशिक्षण को समन्वित करे।

iii) आर्थोपेडिकली अक्षम व्यक्तियों के लिए प्रभावी चल सहायता प्रस्तुत करने हेतु बायोमेडिकल इंजीनीरिंग, उभय मौलिक एवं प्रायोगिक अनुसंधान करने, समन्वय या समर्थन देने का काम करे।

iv) शारीरिक अक्षमों के लिए पुनःस्थापन हेतु सेवा प्रदानकारी कार्यक्रम के माडल प्रस्तुत करे।

v) शारीरिक अक्षम की पुनःस्थापन चिकित्सा एवं शिक्षा के किसी पक्ष पर प्रोटोटाइपबना उत्पादन और वितरण और उसका सब्सिडाइज या वितरण या प्रोत्साहन करे।

vi) किसी रूप में पुनःस्थापन एवं उससे जुडी अनुसंगिक गतिविधि के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग , प्लेसमेंट एवं सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक कार्य हाथ में लेना।

vii) उपरोक्त लक्ष्यों और उद्देश्यों में सारी आय उपयोग होगी।

4. गवर्निंग बाडी :

वर्तमान गवर्निंग बाडी सदस्यों के नाम , पते, अकूपेशन एवं पद जिन्न में संस्था का प्रबंधन न्यस्त है, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 2 के अंतर्गत दिये हैं यथा यूटी आफ दिल्ली पर लागू हैं।

क्र. नाम पद एवं पता विवरण

---

1. डा. एस मुखोपाध्याय चेयरमेन , एलिम्को, कानपुर चेयरमेन

---

2. श्रीमनमोहन सिंह वित्तीय सलाहकार , समाज, सदस्य
कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

---

3. श्री के श्रीनिवासन सचिव , समाज कल्याण सदस्य
ओडिशा सरकार

---

4. श्री बी एस लांबा निदेशक समाज , सदस्य
कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

---

5. श्री ए बालकृष्णन निदेशक , निरतार सदस्य सचिव

---

5. मेमोरेंडम आफ एसोसियेशन में हस्ताक्षरदाता हम, जिनके नाम एवं पते आगे दिये हैं, मेमोरेंडम आफ एसोसियेशन में प्रदत्त उद्देश्य से अपने को उसके साथ शामिल किया है । और हस्ताक्षर दे कर संस्था निर्माण हेतु हम प्रस्तुत हुए हैं।

क्र. नाम पेशा एवं पता हस्ताक्षर

---

1. श्रीआर पी खोसला सचिव , समाज कल्याण मंत्रालय एस/डी
भारत सरका, नई दिल्ली

---

2. डा. बी मुखोपाध्याय अध्यक्ष , एलिम्को सैदपुर रोड, पटना एस/डी

---

3. श्री मनमोहन सिंह वित्तीय सलाहकार , शिक्षा एवं एस/डी
समाज कल्याण मंत्रालय भारत
सरका, नई दिल्ली

---

4. श्री एम सी नरसिंहन संयुक्त सचिव ,समाज कल्याण एस/डी
मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली

---

5. डा. एस के वर्मा विभागीय मुख्य पुनःस्थापन एवं एस/डी
यू.एस.एम (सेवि) आर्टिफिसल अंग केंद्र , एआई
आईएमएस नई दिल्ली

---

6. लेक. एके तिवारी प्रबंध निदेशक , एएलआइएमसीओ, एस/डी
जीटी रोड, कानपुर -208015

---

7. श्री बी एस लांबा निदेशक (एनआई) समाज कल्याण एस /डी
मंत्रालय भारत सरका, नई दिल्ली

उक्त के साक्षी :

---

1. श्रीएमआर खुराना डेस्क अधिकारी , समाज कल्याण एक/डी
   मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

---

2. श्री आर एल दुग्गल डेस्क अधिकारी ,समाज कल्याण एस/डी
   मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

दि. 1983

निरतार के नियम एवं विनियम (SVNIRTAR)

1. अगर अन्यथा विषय न हों, संदर्भ विषय होंगे :

ए) संस्थान का अर्थ है नेशनल इंस्टीच्यूट आफ रिहाबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च।

बी) "साधारण परिषद" का अर्थ है संस्थान की साधारण परिषद।

सी) "कार्य परिषद" का अर्थ है संस्थान की कार्य परिषद।

डी) "अध्यक्ष" का अर्थ है साधारण परिषद का अध्यक्ष और सभापति का अर्थ है कार्य परिषद का सभापति ।

ई) "मेमोरंडम" का अर्थ है रजिस्टर्ड मेमोरंडम आफ एसोसियेशन एवं रुल्स आफ निरतार, समय -समय पर संस्था द्वारा संशोधित।

एफ) "नियम" का अर्थ है मेमोरंडम आफ एसोसियेशन के रजिस्टर्ड नियम जो संस्था द्वारा समय-समय पर संशोधित हों ।

जी) "संस्थान" का अर्थ है संस्था द्वारा निर्मित संस्था

एच) "आफिस बेयरर्स" का अर्थ है। पेट्रेन या अध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा नियुक्त

आई) "सरकार" का अर्थ है केन्द्रीय सरकार

जे) "वर्ष" का अर्थ है केन्द्र सरकार का आर्थिक वर्ष।

2. संस्थान की अथारिटीज :

संस्थान की अथोरिटीज हैं :

साधारण परिषद

कार्य परिषद

साधारण परिषद समय-समय पर अन्य अथारिटी नियुक्त कर सकती है।

3. साधारण परिषद :

3.1 साधारण परिषद का गठन होगा :

ए) सचिय, समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अध्यक्ष

बी) चेयरमेन, एलिम्को, नई दिल्ली सदस्य

सी) संयुक्त सचिव, विकलांग ब्यूरो का इन चार्ज सदस्य
समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

डी) वित्त सलाहकार समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली सदस्य

ई) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सदस्य
समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

एफ) सचिव समाज कल्याण , ओडिशा सरकार सदस्य

जी) आर्थोपेडिक पुनर्वासन में प्रसिद्ध पांच व्यक्ति जो सभापति सदस्य
द्वारा नामजद होंगे।

एच) समाज कल्याण मंत्रालय प्रबंध निदेशक से सलाह कर सदस्य
एएलआइएमसीओ

आई) समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकारका प्रतिनिधि सदस्य

जे) निदेशक एनआइआरटीएआर सचिव सदस्य

3.2 साधारण परिद संस्था के हित में समय-समय पर जितने अवधि के लिए उचित समझे, अन्य संस्था या आर्गनाइजेशन के सदस्य को आप्ट कर सकेगी । कोआप्टेड सदस्य को चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा, पर वोट दान का नहीं।

4. कार्य काल :

4.1 अध्यक्ष के अलावा सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष होगा अथवा उत्तराधिकारी नामित हों या जो परवर्ती हो , और वे पुनःनामांकन के योग्य होंगे।

4.2 साधारण परिषद के सदस्य का कार्यकाल केंद्र सरकार की सहमति पर निर्भर करेगा।

4.3 पदेन सदस्य की साधारण परिषद की सदस्यता पद छोडते ही स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5. साधारण परिषद की बैठक :

5.1 साधारण परिषद की वार्षिक साधारण सभा २१ दिन की लिखित सूचना दे कर अध्यक्ष तारीख , समय , स्थान एवं कार्य सूची सहित बुला सकते हैं। निम्न कार्य संपादन होगा :

ए) वार्षिक रिपोर्ट पर विचार

बी) तुलन पत्र एवं आर्थिक वर्ष के अंकेक्षित लेखा पर विचार

सी) आगामी वर्ष की आय एवं बजट प्रस्तावों पर विचार , एवं

डी) अध्यक्ष के निर्देश से अन्य कोई विषय ।

5.2 जब उचित और आवश्यक समझें, अध्यक्ष साधारण परिषद की विशेष बैठक बुला सकते हैं , इसमें न्यूनतम १४ दिन की नोटित बैठक का उद्देश्य बता कर बुला सकते हैं।

5.3 अध्यक्ष द्वारा आहूत विशेष बैठक में निर्धारित विषय के अलावा अन्य बात पर चर्चा नहीं हो सकेगी ।

5.4 अध्यक्ष की क्षमता एवं कर्त्तव्य :

ए) साधारण परिषद की सभी बैठकें बुलाने और अध्यक्षता करना ।

बी) कार्य परिषद के ध्यान में विशेष बातें लाना और उस पर विचार कराना एवं अन्य कोई जरूरत हो तो विचार करना।

6. कार्य परिषद :

6.1 कार्य परिषद का गठन निम्नवत होगा :

ए) अध्यक्ष एएलआईएम सीआ,े कानपुर - सभापति

बी) हेंडीकेप बूरो के दायित्व में संयुक्त सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली सदस्य

सी) वित्तीय सलाहकार, समाज कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली सदस्य

डी) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , ओडिशा सरकार सदस्य

ई) निदेशक, एनआईआरटीएआर सदस्य

एफ) “दो विशेषज्ञ” सैच्छिक संस्था के सदस्य

(समाज कल्याण, भारत सरकार द्वारा नामित होंगे)

6.2 कार्य परिशद के सभापति किसी विशेष बैठक में किसी व्यक्ति को उचित समझने पर आमंत्रित कर सकते हैं।

6.3 कार्यपरिषद के सभापति की क्षमता एवं कर्त्तव्य :

i) कार्य परिषद की बैठक का सभापतित्व करना

ii) संस्था के हित में परिस्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल कदम उठाना और अगली बैठक में कार्य परिषद से संपुष्ट कराना

7. कार्यकाल :

7.1 धारा 3.1(डी) के अधीन एवं 6.1(सी) के अंतर्गत सदस्य नामजदगी से दो वर्ष सदस्य रहेंगे । सदस्य पुनः नामजदगी के योग्य होंगे।

7.2 जब साधारण परिषद/ कार्य परिषद सदस्य का पता बदले , सदस्य सचिव को सूचित करेंगे । यदि न करें तो उनका पूर्व पता ही माना जायेगा।

8. सदस्यता की समाप्ति :

8.1 कोई कार्य परिषद या साधारण परिषद का सदस्य नहीं रहेगा। यदि

ए) उनकी मृत्यु होती है,

बी) इस्तीफा देता है

सी) मानसिक विकृति होती है।

डी) दीवालिया होता है।

ई) किसी अपराध पर सजा पा जाता है ।

एफ) केंद्र सरकार द्वारा सदस्यता से हटा दिया जाता है।

जी) निदेशक के अलावा, संस्थान में पूर्व कालिक नौकरी स्वीकार करता है,

एच) बिना अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है।

8.2 जो साधारण परिषद या कार्य परिषद पदेन सदस्य के अलावा भारत सरकार का सदस्य सभापति/ अध्यक्ष (यथा स्थिति) को संबोधित कर पत्र लिख त्यागपत्र दे सकते हैं , यह त्यागपत्र संबद्ध अध्यक्ष/ सभापति द्वारा स्वीकृत की तिथि से प्रभावी होगा।

9. अस्थायी रिक्ति :

9.1 जी.सी, ई.सी में कोई अस्थायी रिक्ति को संबद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति या नामजदगी की जायेगी । इस प्रकार नियुक्त या नामजद सदस्य बाकी बचे समय के लिए सदस्य होगा । जिसके स्थान पर नियुक्त या नामजद किया गया है।

9.2 जी.सी या ई.सी किसी रिक्ति के बावजूद या नियुक्ति या नामजगी में कमी पर भी कारवाई जारी रखेगी। इस बात पर कि नामजदी या नियुक्ति में खामी है, कोई प्रश्न नहीं उठेगा।

10. कार्य समिति की बैठक :

10.1 कार्य परिषद कम से कम तीन महीने में एक बार अवश्य बैठक होगी।

10.2 ईसी के सभापति या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई सदस्य ईसी की बैठक बुला सकते हैं।

10.3 ईसी के सभापति इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में चुना गया सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

11. कार्य समिति के अधिकार एवं क्षमता :

11.1 साधारण परिषद का आम निमंत्रण एवं निर्देश के अलावा कार्य परिषद संस्थान के कामकाज और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी । जो मेमोरेंडम आफ एसोसियेशन के अनुरूप होगा , उसके अधीन बने नियमों-विनियमों के अनुरूप संस्थान के उद्देश्यों के लिए होगा , इसके लिए सभी क्षमतायें एवं व्यय होंगे; साथ में।

ए) उद्देश्य पाने संस्थान के लिए स्थूल नीतियाँ निर्धारित करे

बी) बजट एस्टिमेटों का रिव्यू एवं मंजूरी

सी) वित्तीय उपनियमों में व्याख्यायित व्यय को मंजूरी प्रदान

डी) संस्थान के धन का विनियोग

ई) जरूरत पडे तो शर्तों और नियमों में ऋण लेना

एफ) पद सृजन एवं स्टाफ की नियुक्ति

11.2 सरकार की पूर्व मंजूरी पर कार्य परिषद निदेशक की नियुक्ति करेगी।

11.2 1600 रु. या अधिक मासिक वेतन वाले सभी पदों का सृजन और नियुक्ति सरकार की पूर्व मंजूरी से होंगे।

11.3 अन्य पदों का सृजन और नियुक्ति कार्य परिषद करेगी।

11.4 निदेशक संस्थान के प्रबंधन दायित्व में होगा, एवं और कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर पदत्त अधिकारों का प्रयोग संस्थान के मामलों में करेगा ।

11.5 कार्य परिषद प्रस्ताव स्वीकृत कर एक या अधिक कमेटियाँ निर्धारित क्षमता दे कर निर्माण करेगी ।

11.6 कार्य करने हेतु संस्थान की कार्य परिषद प्रस्ताव पास कर अलग से अध्यक्ष या निदेशक या सयुक्त रूप से अपनी क्षमता को उचित समझे प्रदान कर सकेगी ।

11.7 कार्य परिषद सरकार की पूर्वानुमति लेकर नियम परिवर्तन, नवनिर्माण या रद्द कर सकती है

12. संस्थान का धन, लेखा एवं अंकेक्षण :

12.1 संस्थान के धन में निम्न होंगे :

ए) भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसके जरिये किये अनुदान

बी) दान या अन्य सूत्रों से अनुदान एवं

सी) संस्थान की अन्य प्राप्ति या आय

12.2 संस्थान का धन कार्य परिषद द्वारा नामित बैंक में जमा रहेगा । प्राप्त धन संस्थान के उक्त बैंक खाते में जमा किया जायेगा। वह कार्य परिषद द्वारा अधिकृत दो व्यक्तियों या उनकी ओर से कार्य करने अधिकृत व्यक्तिय के हस्ताक्षरों वाले चेक से निकाला जा सकेगा।

12.3 उपनियमों में प्रदत्त फार्मों में संस्थान उचित लेखा एवं तुलनपत्र रखेगी।

12.4 केंद्र सरकार के निर्देशानुसार संस्थान के लेखा प्रतिवर्ष अंकेक्षित होंगे । अंकेक्षण संबंधी खर्च संस्थान द्वारा दिया जायेगा। अंकेक्षकों को लेखा बहियाँ, वाउचर एवं अन्य डाकूमेंट तथा कागज मांगने एवं संस्थान का कार्यलय निरीक्षण का अधिकार होगा ।

12.5 प्रति वित्तीय वर्ष समाप्ति के छः महीने में, संस्थान केंद्र सरकार को पूर्व वर्ष के अंक्षेक्षित लेखा प्रदान करेगा ।

12.6 संस्थान का वित्तीय वर्ष १ अप्रेल से अगले वर्ष ३१ मार्च होगा।

13. संस्थान सोसाइटी के धन को विनियोग और उपयोग करेगा और उसे अधिकार होगा।

ए) उसे उद्देश्य पूरा करने के लिए धन के लिए अपील और आवेदन करने और उपहार, नगद एवं सिक्योरिटीज एवं अन्य चल-अचल ले सकेंगे । दाता, प्रदान करने वालों एवं अन्य हिताधिकारियों को अधिकार या प्रिविलेज , जो सोसायटी उचित समझे, प्रदान कर सकेगी।

बी) अधिग्रहण, क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त करे, लीज या भाडे पर या बंधक रख कर, संस्थान के उद्देश्य पूर्ति हेतु कर सके।

सी) ऋण एवं सिक्योरिटी दे या बिना सिक्योरिटी के बंधक, चार्ज बिना, हाइपोथिकेशन या प्लेज पर किसी या सारी चल-अचल संपत्ति रख या अन्य किसी विधि से धन उगाह सके । बशर्ते भारत सरकार की पूर्व मंजूरी लिखित प्राप्त हो।

डी) विक्रय, एसाइन, बंधक,लीज अदला बदली एवं अन्य किसी या सभी चल अचल संपत्ति का हस्तान्तरण या डिस्पोज भारत सरकार से लिखित लेकर कर सकेगा ।

ई) किसी सरकार या प्रधिकारी, म्युनिसिपल, लोकल या अन्य से सरकारी या प्राधिकारी से कोई अधिकार प्रिविलेज, छूट, फिड्रसरी या अन्य जो संस्था के लिए हो, एग्रीमेंट कर सकती है, यह संस्था के हित में अधिकार, प्रिविलेज एवं छूट के लिए हो।

एफ) चेक, हुंडी, ड्राफ्ट, सर्टिफिकेट, रसीद, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रामिसरी नोट्स, बिल आफ एक्सचेंज या अन्य निगोशिसेबल, ट्रांस्फरवेल या न हों, इंस्ट्रूमेंट ड्रा, स्वीकार, एंडर्स, डिस्काउण्ट, एग्जीक्यूट, हस्ताक्षर, जारी या अन्य कर सकते हैं।

जी) निर्माण, बनाना, रखरखाव, मरम्मत, परिवर्तन, सुधार या विकास या फर्निश का काम किसी भवन में संस्था के लिए जरूरी या सुविधा के लिए हो , कर सकेंगे ।

आई) संस्था के लिए जरूरी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त, नौकरी पर स्थायी या अस्थायी तौर पर रख सकते हैं । उन्हें संस्था की सेवा के बदले वेतन , वेज, मानदेय, ग्रेच्युटी, प्राविडेंट फंड एवं पेंशन दे सकते है।

जे) शारीरिक अक्षमों के लिए उपलब्ध विशेषज्ञता को मोबिलाइशन करना एवं तकनीकी एवं कंसल्टेंसी सेवायें रेमुनरेशन या उसके बिना प्राप्त करना ,

के) संस्था के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि स्थापित करना

एल) प्राइज, अवार्ड, स्कालरशिप, फेलोशिप एवं स्टाइपेंड संस्था के लक्ष्य साधन में इंस्टीच्यूट, आफर एवं ग्रांट कर सकती है।

एम) दान, अनुदान एवं अन्य अंशदान प्राप्त एवं ग्रहण कर सके।

14. भारत सरकार एक या अधिक व्यक्तियों को संस्था का कार्य रिव्यू या प्रगति देखने नियुक्त कर सकती है एवं एंक्वायरी कर रिपोर्ट लेगी और किसी मामले पर कारवाही कर सकती है। संस्था निर्देश मानेगी।

14.1 भारत सरकार समय -समय पर संस्था को दिशा निर्देश जारी कर सकती है जो उसके लिए बाध्य होंगे ।

14.2 संस्थान सभी स्त्री-पुरुषों के लिए खुला होगा। जाति , वर्ण, संप्रदाय का कोई भेद न होगा। धर्म , विश्वास, वर्ण का अंतर, टेस्ट या शर्त किसी प्रशिक्षार्धी या नियुक्ति, शिक्षक या अन्य तकनीकी/ गैरतकनीकी स्टाफ के लिए नहीं होगी।

14.3 संस्था ऐसा कोई लाभ स्वीकार नहीं करेगी, जो इसके मत में, ऐसी शर्त या कृतज्ञता से भरा हो जो संस्था की भावना और उद्देश्य के विपरीत हो ।

14.4 अगर भारत सरकार को विश्वास हो गया कि संस्थान ठीक काम नहीं कर रहा, सरकार को क्षमता है कि वह संस्थान का प्रशासन हाथ में ले और इसके लिए प्रशासक नियुक्त करे । इस अवधि के दौरान जीसी एवं ईसी अंतरित रहेंगी और इसी ,जीसी के सारे अधिकार प्रशासक में निहित होंगे ।

15. नियमावली :

ए) भारत सरकार से पूर्व अनुमति से मेमोरेंडम आफ एसोसियेशन से मेल न खाते नियम, कामकाज के प्रवंधन और प्रशासन के लिए बनाने और संशोधन की क्षमता संस्था में है ।

बी) उपरोक्त प्रावधानों को क्षति बिना ऐसे विनियम निम्न बातों हेतु बना सकते हैं ।

i) बजट एस्टिमेट प्रस्तुत और मंजूर करना, व्यय की मंजूरी कंक्ट्रर चुनना और कार्य लागू करना , संस्था के धन का विनियोग एवं ऐसे विनियोग की बिक्री या परिवर्तन एवं लेखा एवं अंकेक्षण ।

ii) नियुक्तियों की प्रणाली, शर्त एवं नियुक्ति अवधि कुल प्राप्ति, भत्ते, अनुशासन के नियम एवं संस्था के अधिकारियों एवं स्टाफ की अन्य सेवा शर्तें , अनुशासन के नियम , एवं अन्य नियम या शर्तें जो अफसरों पर एवं स्टाफ पर लागू हों।

iv) स्कालरशिप, फेलोशिप, प्रतिनियुक्ति, अनुदान सहायता, अनुसाधन योजना एवं परियोजना की शर्तें एवं कंडीशन ।

V) संस्था के उद्देश्य और उचित प्रशासन के लिए अन्य कोई मामला।

16. कोरम :

16.1 साधारण परिषद की बैठक या उसकी विशेष बैठक में 1/3 साधारण परिषद सदस्य कोरम होंगे

16.2 कार्य परिषद की बैठक में 1/3 कार्य समति सदस्यों से कोरम होगा।

16.3 जीसी या ईसी की किसी बैठक में कोरम न हो तो सभापतित्व करने वाले अधिकारी बैठक स्थगित करेगा और अगली बैठक की तारीख की घोषणा करेगा । उस दिन उपस्थित सदस्यों से कोरम होगा ।

16.4 जीसी और ईसी के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत या डाक से (यूसीपी) उसके स लिखित पते पर चिट्ठी भेजी जायेगी ।

16.5 डाक से ऐसी भेजी चिट्ठी यथेष्ट मानी जायेगी कि उचित नोटिस दी गई है और यूसीपी (अंडर सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग) से भेजी गई ।

16.6 किसी ईसी/ जीसी बैठक की नोटिस न पाना उस बैठक की कारवाही को निरस्त नहीं करेगा ।

16.7 ईसी/जीसी बैठक के लिए न्यूनतम अवधि होगी :

ए) जीसी की वार्षिक साधारण बैठक - 21 दिन

बी) जीसी की विशेष बैठक - 14 दिन

सी) ईसी की साधारण बैठक - 14 दिन

डी) ईसी की विशेष बैठक - 14 दिन

16.8 किसी ईसी/जीसी बैठक में विचार वैभिन्य हो, अधिकांश का मत स्वीकार्य होगा। अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों (कोआप्टेड सदस्यों के अलावा) का एक वोट होगा । किसी विषय पर समान वोट हों तो सभापतित्व करने वाले का एक अतिरिक्त वोट (कास्टिंग वोट) या द्वितीय वोट होगा ।

17. सदस्यों का रोल :

17.1 सदस्यों का रोल, पते एवं व्यवसाय संस्थान में लिखा होगा

18. सर्कुलेशन द्वारा प्रस्ताव :

18.1 यदि सभापति संतुष्ट है कि विषय अत्यावश्यक है और ईसी की वैठक निकट भविष्य में बुलाना संभव नहीं है , कोई विषय सदस्यों में सर्कुलेशन से भी स्वीकार करके लागू किया जा सकेगा और वह वैसे ही बाध्यता मूलक होगा जैसे ईसी की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव होता है ।

अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु एनआईआरटीएआर करेगी :

i) शारीरिक अक्षम के लिए अनावश्यक समझे जाने पर प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटिक्त फिटिंग केंद्र , अस्पताल, स्कूल, वर्कशॉप, प्रिंटिंग या अन्य गतिविधि की स्थापना, प्रशासन को सब्सिडाइज करेगा।

ii) अपने द्वारा किये पाठ्यक्रमों हेतु डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट प्रदान करेगा।

iii) शारीरिक अक्षम बधों को स्कूल में और युवाओं को समाज में प्रोत्साहन प्रदान करेगा ।

iv) शारीरिक अक्षम बधों एवं युवाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्स्थापन हेतु प्रायोगिक कार्यक्रम हाथ में लेगा ।

v) अक्षमों के व्यवस्थापन एवं पुनःस्थापन हेतु उनके अभिभावकों, रिश्तेदारों, सेवाकरने वालों एवं अन्य जन साधारण के लिए शैक्षिक कार्यक्रम ग्रहण करने , प्रायोजित करने , समन्वय या सब्सिडाइज करेगा ।

vi) शारीरिक अक्षमों हेतु अनुसंधान परियोजना, विकास या प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटिक फिटिंग केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापन हेतु व्यक्तियों या संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा ।

vii) शारीरिक अक्षमों के लिए प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के प्रबंधन एवं पुनस्थापन के विभिन्न पक्षों के केंद्र आर्गनाइज , समन्वय या आर्थिक सहयोग प्रदान करेगा।

viii) शारीरिक अक्षमों के प्रबंध और पुनस्थापन संबंधी पुस्तक विर्माण, लेखन या प्रकाशन , पैंपलेट, फिल्म बीडियो टेप या अन्य सामग्री हाथ में ले, प्रायोजित या वित्तीय सहयाता आदि करेगा ।

ix) शारीरिक अक्षमों के क्षेत्र में प्रबंधन और पुनर्स्थापन पर खोज और विकास की पहचान करना और अनुसंधान के परिणामों को वास्तव में लागू करना है ।

x) ऊपर उपधाराओं में वर्णित विस्तार प्रशिक्षण एवं संधान के लिए प्रोस्थैटिक एवं आर्थोटिक फिटिंग केंद्र उचित क्षमता एवं सुविधाओं सहित , चलाना और मैंटेन करना है ।

xi) शारीरिक अक्षमों हेतु बिस्तार, प्रशिक्षण एवं संधान के उचित क्षमता एवं शैया सहित अस्पताल चलाना एवं मैंटेन करना

xii) शारीरिक अक्षमों के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संबंधी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना ।

xiii) संस्थान के मामलों की उपलब्धि में अन्य सहायक एवं कानून सम्मत जरूरतें पूरी करना है ।

19. साधारण :

19.1 संस्थान द्वारा निर्मित नियमानुसार अध्यक्ष से सलाह कर निदेशक सभी करारों को संस्थान की तरफ से लागू करेंगे ।

19.2 सेक्शन ६ या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, जैसे दिल्ली संघ क्षेत्र में लागू, जिनके नाम पर संस्था मुकदमा दायर या जो मुकदमा दायर करें , वह संस्था का निदेशक है।

20. आय एवं संपत्ति :

20.1 संस्था की आय एवं संपत्ति का , जैसे भी प्राप्त हो , प्रयोग मेमोरेंडम में दिये उद्देश्यों में होगा। इसमें भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान । व्यय पर दिशा निर्देश जारी कर सकती है । संस्थान की आय या संपत्ति का कोई अंश कभी रहे सोसाइटी के किसी सदस्य या दावा करने वाले व्यक्ति को डिविडेंड, बोनस लाभ या अन्य रूप में प्रत्यक्ष या परोक्षता प्रदान या हस्तांतरित नहीं किया जायेगा । बशर्ते कि इसमें सदस्य द्वारा प्रदान सेवा के बदले गुडफेथ में मानदेय , यात्राभत्ता, जो हो । यदि सदस्य पार्लियामेंट का सदस्य है, उन्हें प्रतिपूरक भत्ता पार्लमेंट (प्रिवेंश आफ डिसक्वालिफिकेशन) एक्ट, 1959 के अधीन पार्लमेंट सदस्य समाप्त होने तक दिया जायेगा ।

21. मेमोरेंडम आफ एसोससियेशन एवं नियम, विनियमों में परिवर्तन :

जब संस्थान की जीसी को लगे कि रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटी एक्ट , 1860 की धारा 12 के अधीन स्पष्ट किये उद्देश्यों को परिवर्तन , विस्तार या संकुचित करना उचित होगा , केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी लेकर, संस्थान के सदस्यों को लिखित या मुद्रित रिपोर्ट प्रस्ताव प्रदान कर सकते हैं । नियमों एवं विनियमानुसार विशेष बैठक बुला सकते हैं । ऐसा कोई प्रस्ताव गृहीत नहीं माना जायेगा , जब तक कि रिपोर्ट द्वारा विशेष बैठक के दस दिन पूर्व प्रदान या डाक द्वारा पहँचाई नहीं गई हो और जब तक कि ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में 3/5 भाग सूचित सदस्यों ने वोट या प्राक्सी प्रदान न की हों । और बाद में ऐसे ही मताधिक्य से अगली साधारण बैठक में संतुष्ट, जो साधारण सभा द्वारा पूर्व बैठक के एक महीने के अंतराल में बुलाई गई हो।

21. जीसी को जब ऐसा लगे कि संस्था को बदले, विस्तार दे, या अधिनियम के किसी अर्थ की सीमा में अन्य उद्देश्य से संकुचित करे, या संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से अन्य संस्था से मिला दे , जीसी ऐसा प्रास्ताव संस्था के सदस्यों को लिखित या मुद्रित रूप में प्रदान करे और इसके विचारार्थ नियमानुसार बैठक बुलाये । पर कोई प्रस्ताव स्वीकार कर कार्य रूप नहीं पायेगा , जब तक कि विशेष बैठक के दस दिन पूर्व विचारार्थ प्रदान नहीं किया गया है अथवा जब तक कि पूर्व बैठक के एक महीने बाद बुलाई दूसरी बैठक में उपस्थित प्राक्सी प्रदत्त सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो।

22. यूनियन टेटिरी आफ दिल्ली में लागू सोसाइटीज रजिस्ट्रेक्शन एक्ट 1860 की धारा - 4 के अनुसार रेजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटी, दिल्ली के पास प्रतिवर्ष जीसी/ईसी आफिस बेयरर्स की सूची प्रस्तुत की जायेगी।

23. मेमोरेंडम आफ सोसाइटी में कोई परिवर्तन, जो धारा 12 और 12(ए), रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 को यथा यूटी नई दिल्ली अंतर्गत किया जायेगा।

24. यदि संस्था को समाप्त किया जाता है , यह सोसाइटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13 और 14 जैसी यूटी दिल्ली में लागू है, के अनुसार किया जायेगा।

25. समाप्त करना :

25.1 यदि संस्था के समापन या बंद करने पर रेजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटी एक्ट 1860 में प्रदत्त अनुसार संतुष्ट करें , तो फिर सोसाइटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के प्रावधान इस संस्था पर लागू होंगे ।

25.2 संस्था मुकदमा करे या संस्था पर मुकदमा हो, वह सचिव पर एसआर एक्ट 1860 जो यूटी दिल्ली में लागू के प्रवधानानुसार हो सकता है ।

25.3 ऐसेंसियलिटी सर्टिफिकेट : प्रमाणित किया जाता है कि यह नियम एवं विनियमों की सही प्रति है ।

एस/डी एस/डी एस/ डी

(डा. बी.मुखोपाध्याय) (ले.क.ए.क. तिवारी) (बीएसलांबा)